

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 11, 2026

In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 174 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following "Amnesty Scheme-2026", hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and settlement of outstanding demands and disputed amounts, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme-2026.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 30.09.2026.

2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts under any Act in respect of period upto 30.06.2017, except outstanding demand or disputed amount pertaining to the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

- (a) "Act" means any of the following Acts:-
 - (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
 - (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
 - (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956);
 - (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
 - (v) The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999);
 - (vi) The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);
 - (vii) The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);
 - (viii) The Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996); and
 - (ix) The Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994);
- (b) "Applicant" means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;
- (c) "Assessing Authority" means any officer or authority appointed under the Act;
- (d) "Dealer" means any dealer as defined under the Act;
- (e) "Demand and Collection Register (DCR)" means the register containing the details, in the form of entries, of outstanding demand(s) pertaining to any assessment at the ward level either on departmental portal or in physical form;

(W)

- (f) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;
- (g) "Disputed Amount" means any tax, interest, fee or penalty for which any show cause notice has been issued or against which an appeal, revision, writ petition or special leave petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;
- (h) "Final amount" means the amount of outstanding demand or disputed amount which the Assessing Authority determines after adjustment/ rectification/ reassessment etc., if any;
- (i) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register; and
- (j) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

4. Benefits under this scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or late fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table
For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S. No.	Category of outstanding demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Outstanding demand or disputed amount not more than rupees one crore in a single entry or in a single case, as the case may be.	The applicant has deposited 50% of the amount of tax.	Remaining amount of tax and whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

Explanation:

(1) Where any applicant conveys his willingness for availing benefit under this scheme and deposits the required amount upto 30.09.2026 or within ten days from the day on which the Assessing Authority conveys the final amount required to be paid under this scheme, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the scheme. In case, the applicant fails to deposit the final amount in the time specified above, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the

(W)

applicant was prevented by sufficient cause from paying the required amount in the stipulated time, condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

(2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/ disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any Court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits under this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/ disputed amount as per the provisions of this scheme.

(3) Where any application for adjustment/ rectification/ reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the Assessing Authority concerned, then on intimation in writing from dealer or person, he shall dispose it on priority basis.

(4) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/ or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/ reassessment order or show cause notice issued in regard of the said disputed amount. In such cases, the Assessing Authority concerned shall withdraw the proceeding, if any, pending before himself or submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per the Table above, within the stipulated time.

(5) Where the case of prosecution has been filed by the department under clause (d) of sub-section (1) of section 67 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or similar provisions of the repealed Act(s) and the applicant has deposited the amount as required under this scheme, the Assessing Authority shall proceed to withdraw the case from the Court.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table and Explanation (1) of clause 4;
- (ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and
- (iii) No refund for any year or regarding any Act shall be allowed if it is co-related in any manner due to rebate of tax and/ or waiver under this scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demand/ disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.



(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount(s) against the dealer or person alongwith the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 of the Table of clause 4, the decision of the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan shall be final.


7. Provisions for cases pending under Amnesty Scheme-2025.-(1) Where a dealer has opted for payment under Amnesty Scheme-2025 and has deposited the required amount fully upto 30.09.2025 or within ten days from the day on which the Assessing Authority conveys the final amount required to be paid under said scheme of 2025, whichever is later, such cases shall be governed by the provisions of the said scheme of 2025.

(2) In all other cases not covered under sub-clause (1) above, in which any task is pending under Amnesty Scheme-2025 prior to the issuance of this scheme, willingness submitted under the said scheme of 2025 shall be deemed to have been submitted under this scheme and amount required to be paid shall be communicated afresh to the dealer as per the Table of clause 4 of this scheme. The amount deposited, if any, under Amnesty Scheme-2025 shall be adjusted against the amount required to be paid as per the Table of clause 4 of this scheme.

(3) No refund of any payment already made under Amnesty Scheme-2025 shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

[F.12(5)FD/Tax/2026-26]

By order of the Governor,



(Nathmal Didel)

Special Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिवेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए निम्नलिखित "एमनेस्टी स्कीम-2026", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि:- (1) इस स्कीम का नाम एमनेस्टी स्कीम-2026 है।
(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत्त होगी और 30.09.2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. लागू होना:- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम के सिवाय, यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध 30.06.2017 तक की कालावधि के संबंध में, किसी अधिनियम के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम है।

3. परिभाषाएं:- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

- (i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);
- (ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);
- (iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);
- (iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);
- (v) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13);
- (vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);
- (vii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);
- (viii) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9); और
- (ix) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11);

(ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है;

W

(ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;

(ङ) "मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर)" से या तो विभागीय पोर्टल पर या भौतिक रूप में वार्ड स्तर पर किसी निर्धारण से संबंधित परादेय मांग (मांगों) की प्रविष्टियों के प्ररूप में, अन्तर्विष्ट व्यौरों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(च) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(छ) "विवादित रकम" से कोई कर, व्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है या जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुद्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं;

(ज) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;

(झ) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है; और

(ज) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे- कर की रिबेट और व्याज, शास्ति या विलंब फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी

कर की रिबेट और/या व्याज, शास्ति और विलंब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की रिबेट और/या व्याज, शास्ति और विलंब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	परादेय मांग या विवादित रकम जो एकल प्रविष्टि, या यथास्थिति, एकल मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	आवेदक ने कर की रकम का 50 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम और इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धूत व्याज के साथ, व्याज, शास्ति और विलंब फीस की संपूर्ण रकम।

८

स्पष्टीकरण:

- (1) जहां कोई आवेदक इस स्कीम के फायदों का उपभोग करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और 30.09.2026 तक या उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह स्कीम में उपलब्ध फायदों के लिए पात्र होगा। यदि, आवेदक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तो वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित रकम का संदाय करने से नियारित किये जाने के समुचित कारण थे, ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदों का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।
- (2) जहां इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, अपील फाइल किये जाने के लिए जमा की गयी किसी रकम को सम्मिलित करते हुए, जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व, मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः व्याज, शास्ति और विलंब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है, तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए ही उपलब्ध होंगे।
- (3) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संस्चना प्राप्त होने पर वह उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटायेगा।
- (4) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, व्याज, विलंब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदेश या उक्त विवादित रकम के संबंध में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही, यदि कोई हो, को प्रत्याहृत करेगा या नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (5) जहां राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) या निरसित अधिनियम (अधिनियमों) के समान उपबंधों के अधीन विभाग द्वारा अभियोजन वाद फाइल किया गया है और आवेदक ने इस स्कीम के अधीन अपेक्षित रकम जमा करा दी है, वहां निर्धारण प्राधिकारी न्यायालय से मामला प्रत्याहृत करने के लिए अग्रसर होगा।

८

5. शर्ते.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

- (i) आवेदक ने सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 और खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;
- (ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और
- (iii) किसी वर्ष या किसी अधिनियम से संबंधित कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा यदि वह इस स्कीम के अधीन कर की रियेट और/या अधित्यजन के कारण किसी भी प्रकार संबंधित है।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर अपनी रजामंदी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् संसूचना दी जायेगी।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का विकल्प देने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे, इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्धृत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित, इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाइयों, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) खण्ड 4 की सारणी के क्रम संख्यांक 1 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामले में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन लंबित मामलों के लिए उपबंध.- (1) जहां व्यवहारी ने एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन संदाय के विकल्प का चयन किया है और 30.09.2025 तक या उस दिन से दस दिन के भीतर जिस पर निर्धारण प्राधिकारी 2025 की उक्त स्कीम के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसे मामले 2025 की उक्त स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।


(2) उपर्युक्त उप-खण्ड (1) के अधीन नहीं आने वाले ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन कोई टास्क लंबित है, एमनेस्टी स्कीम-2025 की उक्त स्कीम के अधीन दी गयी रजामंदी, इस स्कीम के अधीन दी गयी समझी जायेगी और संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम इस स्कीम के खण्ड 4 की सारणी के अनुसार व्यवहारी को नये सिरे से संसूचित की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन निष्क्रिप्त रकम, यदि कोई हो, इस स्कीम के खण्ड 4 की सारणी के अनुसार संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(W)

(3) एमनेस्टी स्कीम-2025 के अधीन पूर्व में किये गये किसी संदाय का प्रतिदाय इस स्कीम के अधीन कर की रिबेट और/या अधित्यजन के कारण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

[प.12(5)वित्त/कर/2026-26]

राज्यपाल के आदेश से,


(नथमल डिक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव